प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति,अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिविहार,नई दिल्ली।

पत्रांकःएस0टी0 / एन0ओ0सी0 / 2500-2506 / 2013–14 दिनॉकः 25-07-2013

विषय– अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबध में।

महोदय,

उपरांक्त विषयक राजाज्ञा संख्या–1916(1) / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनॉकः 14–07–2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉकः 24–07–2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार बी0एल0एस0इन्टरनेशनल स्कूल गढ़ी तमना तहसील के सामने हाथरस को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नही है।

प्रतिबन्ध–

1–विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2–विधालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विधालय निरीक्षक,सदस्य होगा।

3–विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4–संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नंही की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिशद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है,तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

5–संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

6–कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों की भॉति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध करायें जायेगें।

क्रमशः............

7–राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें,संस्था उनका पालन करेगी।

8–विधालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।

9–विधालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे तथा विधालय की भूमि भवन यदि विधालय के नाम न हो तो विधालय के नाम करायें ।

10–नेशनल बिल्डिग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जायें।

11–उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ

(टी0 वेंकटेश)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ

कार्यालय– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ

पृष्ठॉकन संख्या: एस0टी0/एन0ओ0सी0/ 2500-2506 /2013–14 तद् दिनॉक

प्रतिलिपि– निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव,(माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0शासन,शिक्षा–7 अनुभाग लखनऊ।

2–मण्डलायुक्त,अलीगढ़।

3–शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,18 पार्क रोड लखनऊ।

4–जिलाधिकारी हाथरस ।

5–जिला विधालय निरीक्षक, हाथरस।

6–प्रबन्धक,सम्बन्धित विधालय।

7–गार्ड फाइल हेतु ।

24.2.13

डा0 (अंजना गोयल)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ।